



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख 1942 (श0)
(सं0 पटना 306) पटना, शुक्रवार, 15 मई 2020

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

29 अप्रैल 2020

सं० स्था०-03-07/2005-476—विभागीय अधिसूचना संख्या-03-07/2005-1471, दिनांक-30.07.2012 से श्री शंकर नारायण लाल, तत्कालीन ईख पदाधिकारी, श्री मुकेश कुमार वर्मा, तत्कालीन ईख पदाधिकारी, श्री जीवन मसीह किन्डो, तत्कालीन ईख पदाधिकारी को दिनांक-01.01.2009 के प्रभाव से और श्री मोहन राम, तत्कालीन ईख पदाधिकारी को दिनांक-30.03.2010 के प्रभाव से द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ वेतन बैंड 15600-39100 पी0बी0-3 ग्रेड पे 6600/-रु० में स्वीकृत किया गया था।

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के पत्रांक-2481-(22) दिनांक-14.11.2019 के अनुसार श्री शंकर नारायण लाल, तत्कालीन ईख पदाधिकारी, श्री मुकेश कुमार वर्मा, तत्कालीन ईख पदाधिकारी को दिनांक-01.01.2009 से एवं श्री मोहन राम, तत्कालीन ईख पदाधिकारी को दिनांक-30.03.2010 के प्रभाव से द्वितीय रुपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ पी0बी0 3 ग्रेड पे 5400/-रु० में मिलना चाहिए था न कि ग्रेड पे 6600/-रु० में। उसी पत्र के द्वारा वित्त विभाग द्वारा संशोधित आदेश उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ताकि उपर्युक्त पदाधिकारियों का वेतन पूर्ण संशोधित किया जा सके।

चूँकि उपर वर्णित पदाधिकारियों को द्वितीय रुपांतरित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में दिया गया था, इसलिए वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र के आलोक में प्रश्नगत मामले पर विचार करने हेतु स्क्रीनिंग समिति की बैठक विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-07.02.2020 को आयोजित किया गया। स्क्रीनिंग समिति द्वारा वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र के आलोक में प्रश्नगत मामले पर विचार विमर्श किया गया और सम्यक रूप से विचारोपरांत सर्वसम्मति से अधिसूचना संख्या-1471 दिनांक-30.07.2020 जिसके द्वारा श्री शंकर नारायण लाल, तत्कालीन ईख पदाधिकारी, श्री मुकेश कुमार वर्मा, तत्कालीन ईख पदाधिकारी को दिनांक-01.01.2009 के प्रभाव से एवं श्री मोहन राम, तत्कालीन ईख पदाधिकारी को दिनांक-30.03.2010 को पी0बी0 3 ग्रेड पे 6600/-रु० में द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ दिया गया था को उसी तिथि से पी0बी0 3 ग्रेड पे 5400/-रु० में संशोधित करने का निर्णय लिया गया।

अतएव, स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक-07.02.2020 में लिये गये निर्णय के आलोक में गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-1471 दिनांक-30.07.2012 जिसके द्वारा श्री मुकेश कुमार वर्मा, तत्कालीन ईख पदाधिकारी, श्री शंकर नारायण लाल, तत्कालीन ईख पदाधिकारी दिनांक-01.01.2009 के प्रभाव से और श्री मोहन राम, तत्कालीन ईख पदाधिकारी को दिनांक-30.03.2010 के प्रभाव से पी0बी0 3 ग्रेड पे 6600/-रु० में द्वितीय रुपांतरित वृत्ति

उन्नयन योजना का लाभ दिया गया था, को उसी तिथि से पी0बी0 3 ग्रेड पे 5400/—रु0 में द्वितीय रुपांतरित वित्तीय उन्नयन योजना के लाभ को संशोधित किया जाता है।

2. द्वितीय उन्नयन का लाभ प्राप्त करने के बाद पदधारक की पदीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

3. इस योजना के अधीन यह वित्तीय उन्नयन विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत लाभ होगा। अतः सम्बर्ग में कनीय पदाधिकारियों के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजनान्तर्गत उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरीय पदाधिकारी को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन/वेतन संरक्षण देय नहीं होगा।

4. भविष्य में संबद्ध पदाधिकारी/कर्मों के सम्बर्ग से संबंधित वित्त विभाग, बिहार, पटना अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके वेतनमान से संबंधित यदि कोई निर्णय लिये जाते हैं तो यह वित्तीय उन्नयन तदनुसार प्रभावित होते हुए रुपभेदित किया जा सकेगा।

5. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या—1802 दिनांक—23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम 22 (I) अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या—630 दिनांक—21.01.2010 की कंडिका 12 में निहित प्रावधान के अनुसार निर्धारण किया जायेगा।

6. उपर्युक्त पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने अथवा यदि वित्त विभाग/सक्षम प्राधिकार के द्वारा इस वित्तीय उन्नयन के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति उठायी जायेगी या मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा इस संबंध में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश नियमानुसार अवक्रमित/संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से
(ह0)—अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 306-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>